न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–2,गाजियाबाद।

सिविल विविध वाद सं० 18/ 2022

कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं० 817/ 2022

सम्बन्धित सिविल अपील संख्याः 317/ 2016

प्रहलाद आदि बनाम कृपाल सिंह आदि

निस्तारण प्रार्थनापत्र संख्या 3 ग

23–11–2023

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 3 ग मय शपथपत्र 4 ग देवेन्द्र पुत्र स्व० प्रहलाद सिंह सिविल अपील संख्या 317/ 2016 प्रहलाद सिंह (मृतक) बनाम कृपाल सिंह आदि में पारित आदेश दिनांक 03–11–2022 को निरस्त करने व उक्त सिविल अपील को मूल नम्बर पर पुनर्स्थापित किये जाने हेतु आदेश 41 नियम 19 सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत इस कथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उक्त सिविल अपील में अपीलार्थी संख्या 1 /2 देवेन्द्र को समन मिलने के पश्चात वह पत्रावली पर दिनांक 11–09–2019 से 23–11–2019 तक हाजिर हुआ तथा पत्रावली पर अपने हस्ताक्षर किये थे। अपीलार्थी संख्या 1/ 2 देवेन्द्र के अलावा अन्य अपीलार्थीगण पर समन की तामील नहीं हुयी थी, जिस कारण अन्य अपीलार्थी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुये थे। उनके द्वारा जानबूझकर कोई गलती नहीं की गयी है। अपीलार्थी देवेन्द्र लॉक डाउन के पहले तक पत्रावली पर उपस्थित हुआ था। उसके बाद दिनांक 25–03–2020 से सम्पूर्ण भारत में कोविड –19 के कारण लॉकडाउन लग गया था जिसके कारण अपीलार्थी को नियत तिथियों का पता नहीं लग पाया था। लॉक डाउन के बाद न्यायालय में वादियों का आवगमन शुरू हुआ तो अपीलार्थी न्यायालय में उपस्थित हुये और उपस्थित होकर अपनी पत्रावली के बारे में पता किया तो कोर्ट में बताया गया कि अभी कार्य नहीं हो रहा है,जब समन आये तब कोर्ट में उपस्थित होना है। उसके बाद 2021 में पुनः लॉकडाउन लग गया और न्यायालय में न्यायालय में कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहा था और सभी पत्राविलयों की नियत तिथियां सही प्रकार से पता नहीं चल पा रही थी। लॉक डाउन खत्म होने के बाद भी अपीलार्थीगण पर कोई समन या नोटिस नहीं पहुॅचा। अपीलार्थीगण को गाँव के लोगों से पता चला कि कृपाल सिंह ने कोर्ट से पत्रावली को निरस्त करा दिया है। उसके बाद अपीलार्थीगण कोर्ट में उपस्थित हुये और पत्रावली का मुआयना कराया तो जानकारी हुयी कि न्यायालय द्वारा दिनांक 03–11–2022 को अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में उक्त सिविल अपील को निरस्त किया जा चुका है। अपीलार्थीगण के द्वारा जानबूझकर कोई गलती व लापरवाही नहीं की गयी है। गलती व लापरवाही केवल लॉक डाउन में नियत तिथियों का पता न चलने तथा कोई नोटिस या समन न मिलने के कारण हुयी है। प्रार्थना की गयी कि आदेश दिनांक 03–11–2022 को निरस्त किया जाकर अपील को साबिक नम्बर पर लिया जाये और गुण – दोष के आधार पर निस्तारित किया जाय।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या –1 की ओर से लिखित आपत्ति कागज संख्या 10 ग मय शपथपत्र कृपाल सिंह कागज संख्या 11 ग प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रार्थनापत्र नम्बर साबिक असत्य कथन के आधार पर विधि विरूद्ध योजित किया गया है। प्रार्थनापत्र में कोई पर्याप्त आधार

दर्शित नहीं किया गया है। प्रार्थनापत्र आदेश 41 रूल 19 के प्रावधान से बाधित है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 चमेली देवी की मृत्यु दिनांक 05–12–2016 को हो गयी थी लेकिन अपीलार्थीगण ने चमेली देवी के विरूद्ध प्रार्थनापत्र नम्बर साबिक योजित किया है तथा चमेली देवी के वारिसान को स्थापित करने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थी 1/1 ता 1/ 3 आपस में माता व पुत्रगण है। उपरोक्त अपील के बारे में प्रार्थीगण को शुरू से जानकारी थी। प्रार्थीगण जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। प्रार्थनापत्र को खण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

मैने उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी प्रहलाद सिंह (मृतक) के वारिसान द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध अपील माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी। जहाँ से अन्तरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुयी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि दिनांक 03–11–2022 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति तथा विपक्षी की उपस्थिति में अपील निरस्त की गयी है,जिसके विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थनापत्र दिनांक 25–11–2022 को प्रार्थी/ अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सशपथ कथन करते हुये कोविड –19 के कारण उपस्थित न होने और बाद में तिथि की न जानकारी होना बताया गया है। विपक्षी की तरफ से आपत्ति प्रस्तुत करते हुये हालाँकि कथनों को इन्कार किया गया है लेकिन वाद की परिस्थितियों में गुणदोष के निस्तारण को ध्यान में रखते हुये विपक्षी को हुयी क्षति को हर्जे से पूरा करते हुये प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 3ग, मु० 3,000/–(तीन हजार) रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। सिविल अपील संख्या 317/ 2016 प्रहलाद सिंह (मृतक) बनाम कृपाल सिंह में पारित आदेश दिनांक 03–11–2022 निरस्त किया जाता है। हर्जा अदायगी नियत दिनांक तक करना सुनिश्चित करे। हर्जा अदायगी के उपरान्त सिविल अपील सं० 317/ 2016 मूल नम्बर पर कायम हो। तदनुसार हर्जा अदायगी होने के पश्चात कार्यालय लिपिक सिविल अपील को मूल नम्बर पर कायम करे।

पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 08–12–2023 को पेश हो।

दिनांकः 23–11–2023

(हीरा लाल –III)
अपर जनपद न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या –2,गाजियाबाद।